

दिनांक 4.5.18

यह वाद पत्र श्री दिनेशचंद शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 22.5.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महारा (जिला दौसा)
महवी (दौसा)

18.05.2018

श्री. के. रा. चलाणा नहीं
पाए।

आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रस्तुत पत्र पेश करने पर पेश हुई। वादी द्वारा अवगत करवाया है कि वादी व उनके वादी पिता-पुत्र हैं जिनके मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा के आधार पर उफरण को आगे चलाना नहीं कहता है। वादी द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही काट करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी द्वारा अपना वाद आगे चलाना नहीं कहने से इसी स्तर पर कार्यवाही SROP की जाती है। पत्रावली फैसला सुनार होकर नम्बर ले कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
महारा (जिला दौसा)